



न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- 142/2019

तारीखरजः-27/11/19

उनवान:- भरोसी बनाम ओमप्रकाश वगै०

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा घारा 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम
27/11/19	<p>वादी की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 23.12.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
5/12-19	<p>वादी एवं वादी वकील ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब कर स्वारिज करने वाले प्रस्तुत किया। पत्रावली तलब की गई। वादी एवं वादी वकील ने मुकदमा झोगे नहीं चलाने का कथन कर Not Press में स्वारिज करने स्वरूप झोगे रिफा पर हस्तासर किये। डातः यह दावा Not Press में स्वारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली) </p>

5648-52

27-11-19

Not
Press
by
Rajendra

नि० भरोसी

